न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्र0क0 1232–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 28–3–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी परगना कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0 क0 51/2011–12/अपील.

ठाकुरलाल पुत्र तिलुआ सैहर,
निवासी ग्राम पडौरा सड़क तहसील कोलारस,
जिला शिवपुरी म0प्र0 ---- आवेदक

विरूध्द

1. औतार सिंह पुत्र हुकुम सिंह जाट
2. श्रीमती सोमोती पत्नी औतार सिंह जाट
   निवासीगण ग्राम टेहरकी, तहसील व
   जिला पलवल–हरियाणा, हाल निवासीगण
   ग्राम टीला तहसील कौलारस जिला शिवपुरी म0प्र0
3. नंदलाल
4. विजय सिंह
5. जयसिंह उर्फ पप्पू पुत्रगण खचेरा जाट
   निवासी मीरापुरा तहसील व जिला फरीदाबाद
   हाल निवासी ग्राम टीला तहसील कौलारस
   जिला शिवपुरी म0प्र0 ---- अनावेदकगण

– – –

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक– आवेदक
श्री आर0एस0सेंगर, अभिभाषक–अनावेकगण

– – –

आदेश
(आज दिनांक \7 नवम्बर–2014 को पारित)

– – –

यह निगरानी आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय परगना कोलारस जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक क0 51/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 28–3–2014 से अन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय कुल किता 12 कुल रकवा 6.920 है0 ग्राम टीला तहसील कोलारस स्थित भूमि पर कब्जा अंकित करने बावत प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय ने प्रकरण कमांक 18/10–11/अ–6–अ में पारित दिनांक 4–2–2012 के द्वारा आवेदक का कब्जा खसरा नंबर 12 में अंकित करने का आदेश दिया। तहसीलदार के उक्त के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कं 1 एवं 2 द्वारा अनुविभागीय अधिक़ारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 28–3–2014 के द्वारा प्रस्तुत अपील को समय--सीमा में मान्य किया और प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से आधार उठाये हैं कि आवेदक का विवादित भूमि पर कब्जा होने से कब्जा अंकित किये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 को विधिवत सूचनाउपरांत साक्ष्य के आधार पर आवेदक का कब्जा इन्द्राज करने के आदेश दिये गये। उनका यह भी तर्क है कि आवेदक द्वारा धारा 5 के आवेदन का उत्तर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, परन्तु उक्त उत्तर पर विचार न कर अपील को समय–सीमा में मान्य करने में त्रुटि की गई है। तर्क में यह भी आधार लिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश सकारण एवं बोलता हुआ आदेश नहीं है, जिसमें यह नहीं दर्शाया गया है कि किन कारणों से अपील को समय–सीमा में मान्य किया जा रहा है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदक कं 1 एवं 2 को आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उन्हें तहसील न्यायालय से किसी प्रकार की कोई सूचना जारी की गई है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित भूमि अनावेदक कमांक 3 लगायत 5 से जर्ये रजिस्टर्ड विकयपत्र के माध्यम से दिनांक 29–3–2011 को कय की थी तथा दिनांक 30–3–11 की सत्यप्रतिलिपि निकलवाने पर तहसील न्यायालय के आदेश जानकारी हुई। दिनांक 21–4–12 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन लगाया। दिनांक 3–4–12 को अपील प्रस्तुत की गई। अतः जानकारी के दिनांक से समय–सीमा में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की गई थी। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 5 पर विस्तार से आदेश पारित कर अपील को समय–सीमा में मान्य किया है। अतः निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने एवं संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में कब्जा इन्द्राज हेतु प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को किसी प्रकार की कोई सूचना जारी नहीं की गई है। जानकारी के दिनांक से अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विधिवत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के अपील प्रस्तुत की गई है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क श्रृवण के पश्चात विस्तार से समय–सीमा में मान्य करने का आदेश विधिसम्मत रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर किया जाना है जहां उभय पक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश वैधानिक दृष्टि से उचित है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी परगना कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–3–2014 स्थिर रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर